

**कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद, (म.प्र.)
आदेश**

क्रमांक 209/दो-11-1/05

होशंगाबाद, दिनांक 13.08.2020


प्रशासनिक सुविधा एवं कार्य व्यवस्था की दृष्टि से निम्नांकित शासकीय सेवकों के स्थानांतर एवं पदस्थापना निम्नानुसार की जाती है:-

क	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	आगामी पदस्थापना	रिमार्क
1.	श्री मानवेन्द्र सिंह ठाकुर सहायक ग्रेड-तीन	अंतरमंडलीय स्थानांतर से उपस्थित	साक्ष्य लेखक, न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पिपरिया (रिक्त न्यायालय)	श्री प्रभात नायक के स्थान पर
2.	श्रीमती बबीता पवार सहायक ग्रेड-तीन	साक्ष्य लेखक, तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होशंगाबाद	साक्ष्य लेखक, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद	कुमारी नेहा चौहान के स्थान पर
3.	कुमारी नेहा चौहान	साक्ष्य लेखक, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद	साक्ष्य लेखक, तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होशंगाबाद	श्रीमती बबीता पवार के स्थान पर
4.	श्रीमती छाया विनोदिया सहायक ग्रेड-दो	प्रतिलिपिकार प्रतिलिपि अनुभाग, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद	सहायक अभिलेखापाल, अभिलेख कोष्ठ होशंगाबाद	विनिष्ठीकरण का कार्य संपादित करेंगी।
5.	श्री योगेश कचनेर भृत्य	अंतरमंडलीय स्थानांतर से उपस्थित	भृत्य, न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इटारसी	श्री राहुल रैकवार के स्थान पर

टीप-(1) श्री मानवेन्द्र सिंह, साक्ष्य लेखक, न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पिपरिया (रिक्त न्यायालय) आगामी आदेश तक अभिलेखागार पिपरिया में प्रकरणों को सी.एन.आर. में दर्ज करने का कार्य करेंगे।

(2) श्रीमती ज्योति त्रिपाठी, (रीडर ग्रेड-दो) आसंजित लेखा शाखा कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद आगामी आदेश तक प्रतिलिपि अनुभाग कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद में श्रीमती छाया विनोदिया से कार्यभार लेकर प्रतिलिपिकार का कार्य संपादित करेंगी।


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 होशंगाबाद(M0प्र0)

पृ.क. 923 /दो-11-1/05

प्रतिलिपि:-

- 01- प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद
- 02- प्रभारी अधिकारी नजास्त/अभिलेख कोष्ठ अनुभाग होशंगाबाद
- 03- प्रथम अपर जिला न्यायाधीश पिपरिया/इटारसी
- 04- तृतीय अपर जिला न्यायाधीश होशंगाबाद
- 05- अंतरमंडलीय स्थानांतर से उपस्थित कर्मचारी श्री की ओर
इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कार्यालय में व्हाटस एप पर उपस्थिति
प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये जिन कर्मचारी के स्थान पर पारस्परिक अन्तरमंडलीय
स्थानांतर पर आये है उसी स्थान पर पहुचकर 7 दिन स्वयं की C.L अथवा E.L
लेकर अवकाश व्यतित कर स्थानिय नोडल ऑफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
से जांच कराकर प्रमाण पत्र के साथ अपनी नवीन प्रदस्थापना वाले पद पर
उपस्थिति देंगे तथा कार्यालय परिपत्र क्रमांक 847/दो-1-8/19 होशंगाबाद
दिनांक 30.07.2020 के पालन में पदस्थापना के स्थान पर ही आवास लेकर निवास
करना सुनिश्चित करेंगे।
- 05- लेखापाल/देयक लिपिक होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित।


प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
होशंगाबाद(म0प्र0)